



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM &
COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

जे. आर. झणारणे
रेक्टर

क्रमांक : 790
दिनांक : 25/02/2010

प्रति,
समस्त अध्ययन केन्द्र

विषय : ट्यूशन फीस शेयर (TFS) की बकाया राशि जमा करने के संबंध में ।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि कुछ अध्ययन केन्द्रों से पिछली परीक्षाओं की ट्यूशन फीस शेयर (TFS) की राशि अभी तक अप्राप्त है। परिणाम स्वरूप ऐसे अध्ययन केन्द्रों की अंकसूची रोक दी गई है।

अध्ययन केन्द्र की लापरवाही का खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ता है। अतः छात्रहित में निर्णय लिया गया है कि ऐसे छात्र जिनकी अंकसूची उनके अध्ययन केन्द्र से ट्यूशन फीस शेयर की राशि प्राप्त न होने के कारण रूकी हुई है, यदि वे छात्र अंकसूची हेतु विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं तो उनसे आवेदन के साथ जमा होने वाली फीस नहीं ली जावेगी एवं उन्हें अंकसूची दे दी जावेगी। इस स्थिति में विद्यार्थी द्वारा जमा की जाने वाली फीस की दुगुनी राशि संबंधित अध्ययन केन्द्र की जमा सुरक्षानिधि से वसूल की जावेगी। जिन अध्ययन केन्द्रों की सुरक्षानिधि जमा नहीं है, ऐसी संस्थाओं को सुरक्षानिधि राशि के साथ पैनल्टी प्रति छात्र जारी की गई अंकसूची के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

अतः ऐसे समस्त अध्ययन केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि जिन्होंने अपनी ट्यूशन फीस शेयर की राशि अब तक जमा नहीं की है, वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी समस्त बकाया राशि विश्वविद्यालय में जमा करें। नियत समयावधि में ट्यूशन फीस शेयर की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में पृथक से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर संबद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(जे. आर. झणारणे)
रेक्टर

प्रतिलिपि :

1. परीक्षा नियंत्रक
2. वित्ताधिकारी
3. उपकुल सचिव परीक्षा
4. सहायक कुलसचिव (ले.अ.के.)
5. निज सचिव, कुलपति

(जे. आर. झणारणे)
रेक्टर